

न्यायालय-प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 100/2017

संस्थित दिनांक-20.03.2017

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

अजय कुमार उर्फ मोनू पुत्र प्रकाशचंद्र कश्यप
उम्र 24 साल, निवासी 197-ए थर्ड फ्लोर
पटपर गंज मयूर विहार फेस-1 दिल्ली

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 30-11-2017 को घोषित}

आरोपी पर दिनांक 16.03.17 को 23 बजे ग्राम चैतपुरा में फरियादी मुन्नासिंह जादौन के निवास ग्रह में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात् चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित करने हेतु भादस0 की धारा 457 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 16.03.17 को फरियादी मुन्नासिंह जादौन, पत्नी मिथलेश एवं भाभी पुष्पादेवी खाना खाकर सो गए थे। फरियादी मुन्नासिंह नीचे के कमरे में सोया था तथा भाभी व पत्नी उपर के कमरे में सो रही थी। रात्रि करीब 11 बजे उसे कुछ आहट सी मिली तो उसने जागकर देखा, एक व्यक्ति घर के आंगन में छिपा था। वह चिल्लाया तो उसकी पत्नी व भाभी जाग गयी थी। वह व्यक्ति भागने लगा तो फरियादी मुन्नासिंह ने उसे पकड़ लिया, नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम अजय शर्मा बताया। शोरगुल होने से पड़ोस के लोग आ गए थे। आरोपी उसके घर में चोरी करने की नियत से रात्रि में घुसकर आया था। फिर वे अजय शर्मा को पकड़कर थाना रिपोर्ट करने को गया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद चौराहा में अप0क्र0 31/17 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया एवं प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
4. दफ्तर की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
5. इस न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है:-
 1. क्या आरोपी ने दिनांक 16.03.17 को 23 बजे ग्राम चैतपुरा में फरियादी मुन्नासिंह जादौन के निवासग्रह में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात् चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया ?
5. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी मुन्नासिंह अ0सा01, सुनील अ0सा0 2, मिथलेश अ0सा0 3, पुष्पादेवी अ0सा0 4, प्र0आर0 लक्ष्मण अ0सा0 5, लोकेन्द्रसिंह अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी मुन्नासिंह अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी को नाम और शक्ल से नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालीन कथन से करीब दो माह पहले की है। वह अपने घर में खाना खाकर सो गया था तभी उसकी पत्नी एवं भाभी के चिल्लाने की आवाज आई थी। उसने देखा एक व्यक्ति उसके घर से भाग रहा था, वह चोरी करने के लिए आया था। उसने रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा में की थी। रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक 16.03.17 को वह, उसकी पत्नी मिथलेश व भाभी पुष्पादेवी खाना खाकर सो गए थे तभी उसे आहट हुई थी तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके घर के आंगन में छिपा था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह चिल्लाया तो वह व्यक्ति भागने लगा तथा नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम अजय बताया था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी उसके घर में चोरी करने के उद्देश्य से आया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी0 1 एवं पुलिस कथन प्र0पी0 3 में पुलिस को बताई थी।
7. साक्षी मिथलेश अ0सा0 3 एवं पुष्पा अ0सा0 4 ने भी यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह एवं मुन्नासिंह खाना खाकर सो गए थे तो रात्रि 11 बजे चिल्लाने की आवाज सुनकर वह जागे थे और उन्होंने देखा एक व्यक्ति उनके घर से भाग रहा था, लेकिन वह उसे देख नहीं पाई थी। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

8. साक्षी सुनील अ0सा0 2 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी अजय कुमार को नहीं जानता है। उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 6 माह पहले उसके चाचा मुन्नासिंह के यहां चोरी हो गयी थी। मुन्नासिंह ने उसे फोन पर बताया था कि एक चोर घर पर आया था, चोरी नहीं हो पाई थी, उस समय वह गाड़ी पर था। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 4 पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं किन्तु उसके सामने आरोपी अजय को गिरफ्तार नहीं किया था। साक्षी लोकेन्द्र अ0सा0 6 ने भी अपने कथन में घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

9. साक्षी प्र0आर0 लक्ष्मण अ0सा0 5 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं हैं।

11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मुन्नासिंह अ0सा0 1 जिसके द्वारा प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गयी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी को नाम और शक्ल से नहीं जानता है। घटना वाले दिन वह और उसकी पत्नी तथा उसकी भाभी खाना खाकर सो रहे थे तभी उसकी पत्नी एवं भाभी के चिल्लाने की आवाज आई थी तो उसने देखा एक व्यक्ति घर से भाग रहा था। वह व्यक्ति उसके यहां चोरी करने के लिए आया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी अजय को मौके पर पकड़ लिया था तथा इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी0 1 और पुलिस कथन प्र0पी0 3 में पुलिस को लिखाई थी। इस प्रकार फरियादी मुन्नासिंह अ0सा0 1 के कथनों से यह दर्शित है कि मुन्नासिंह अ0सा0 1 द्वारा यह तो बताया गया है कि घटना वाले दिन उसके घर में चोरी करने के लिए एक व्यक्ति घुसा परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि वह व्यक्ति कौन था। उक्त साक्षी द्वारा इस तथ्य से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है कि आरोपी अजय उसके घर में घुसा था एवं उसने आरोपी अजय को मौके पर पकड़ा था। यद्यपि प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी अजय द्वारा फरियादी मुन्नासिंह के घर में घुसने का उल्लेख है परंतु फरियादी मुन्नासिंह अ0सा0 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया गया है कि उसने प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में आरोपी अजय के चोरी करने के आशय से घर में घुसने वाली बात पुलिस को नहीं बताई थी। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी मुन्नासिंह अ0सा0 1 के कथन प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी मुन्नासिंह द्वारा आरोपी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथन से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

12. साक्षी मिथलेश अ0सा0 3 ने भी अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह, उसका पति मुन्नासिंह और भाभी पुष्पा खाना खाकर सो गए थे। रात्रि 11 बजे उसके पति के चिल्लाने की आवाज आई थी तो उसने एक व्यक्ति को घर से जाते हुए देखा था, वह उस व्यक्ति को देख नहीं पाई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उसके पति ने उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया था एवं उस व्यक्ति ने अपना नाम अजय बताया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसका पति एवं भतीजा सुनील

आरोपी अजय को पकड़कर थाने ले गए थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि आरोपी अजय चोरी करने के उद्देश्य से उसके घर में घुसा था। मिथलेश अ0सा0 3 द्वारा भी आरोपी अजय के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथन से भी आरोपी अजय के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

13. पुष्पा अ0सा0 4 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसके देवर के चिल्लाने की आवाज आई थी तो उसने देखा था एक व्यक्ति उसके घर से भाग रहा था जिसे वह देख नहीं पाई थी। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी अजय चोरी करने के उद्देश्य से उसके घर में घुसा था एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसके देवर ने आरोपी अजय को मौके पर पकड़ लिया था। इस प्रकार पुष्पा अ0सा0 4 द्वारा भी इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी अजय घटना वाले दिन उनके घर में चोरी करने के आशय से घुसा था। पुष्पा अ0सा0 4 द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथन से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14. साक्षी लोकेन्द्र अ0सा0 6 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

15. साक्षी सुनील अ0सा0 2 ने भी अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि उसे घटना की जानकारी उसके चाचा मुन्नासिंह ने फोन पर दी थी, वह उस समय गाड़ी पर था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने भी इस तथ्य से इंकार किया है कि वह अजय को पकड़कर थाने ले गया था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

16. प्र0आर0 लक्ष्मण अ0सा0 5 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी प्रकरण में औपचारिक साक्षी है। प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षी के कथनों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

17. उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी मुन्नासिंह अ0सा0 1, सुनील अ0सा0 2, मिथलेश अ0सा0 3, पुष्पादेवी अ0सा0 4 एवं लोकेन्द्र अ0सा0 6 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। प्र0आर0 लक्ष्मण अ0सा0 5 प्रकरण में औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना वाले दिन आरोपी अजय द्वारा फरियादी मुन्नासिंह के निवासग्रह में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात् चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

19. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 16.03.17 को 23 बजे ग्राम चैतपुरा में फरियादी मुन्नासिंह जादौन के निवासग्रह में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात् चोरी करने के आशय से प्रवेशकर रात्रौ प्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी अजय उर्फ मौनू कश्यप को भा0द0स0 की धारा 457 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

21. आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

22. प्रकरण में जब्तशुदा कोई संपत्ति नहीं हैं।

स्थान – गोहद

दिनांक –30-11-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)